उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन केश नं0-38/2013-14

मसो0 मकलू मुर्मू वगैरह

बनाम्

शिव कुमार राय, प्रधान

-: आदेश :-

दिनांक 24/03/17

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखवद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदिका मो0 मकलू मुर्मू, पति– स्व0 बुधू किस्कू वो आवेदक बुधू किस्कू उर्फ मिस्त्री किस्कू वो सलखू उर्फ बबलू किस्कू पे0 स्व0 रामजीत किस्कू सा0–डलावार, थाना–महागामा, जिला– गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदकगण ने मौजा–डलावर के जमाबंदी सं0–30 की जमीन का लगान लेकर मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु शिव कुमार राय, प्रधान मौजा–डलावर को आदेश देने हेतु अनुरोध किया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण मौजा–डलावर के रैयत है एवं विपक्षी शिव कुमार राय, मौजा–डलावर के प्रधान है। मौजा–डलावर के जमाबंदी सं0–30 जमाबंदी रैयत बुधू किस्कू पे0–डुगरू किस्कू, वो छोटा बुधू किस्कू वो जीतु किस्कू पे0 तोता किस्कू वो रामजीत किस्कू पे0 लडाय किस्कू के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। जमाबंदी रैयत रामजीत किस्कू को एक पुत्र चन्द्राय किस्कू हुए। चन्द्राय किस्कू नावल्द फौत कर गये। जमाबंदी रैयत छोटा बुधू किस्कू एवं जमाबंदी रैयत जीतु किस्कू कई वर्ष पूर्व गाँव छोड़कर चले गये है। लगभग 30 वर्षो से उन दोनों का कोई जानकारी नहीं है। जमाबंदी रैयत बुधू किस्कू अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः दुर्गा किस्कू वो रामजीत किस्कू वो जेठा किस्कू को छोड़कर फौत कर गये। जेठा किस्कू नावल्द फौत कर गये। दुर्गा किस्कू अपने पीछे एक पुत्र बुधू किस्कू को छोड़कर फौत कर गये एवं रामजीत किस्कू अपने दो पुत्र बुधू उर्फ मिस्त्री किस्कू एवं सलखू उर्फ बबलू किस्कू को छोड़कर फौत कर गये। उनके द्वारा मौजा–डलावर, जमाबंदी सं0–30 के जमाबंदी रैयत का निम्न प्रकार वंशावली दर्शाया है :–

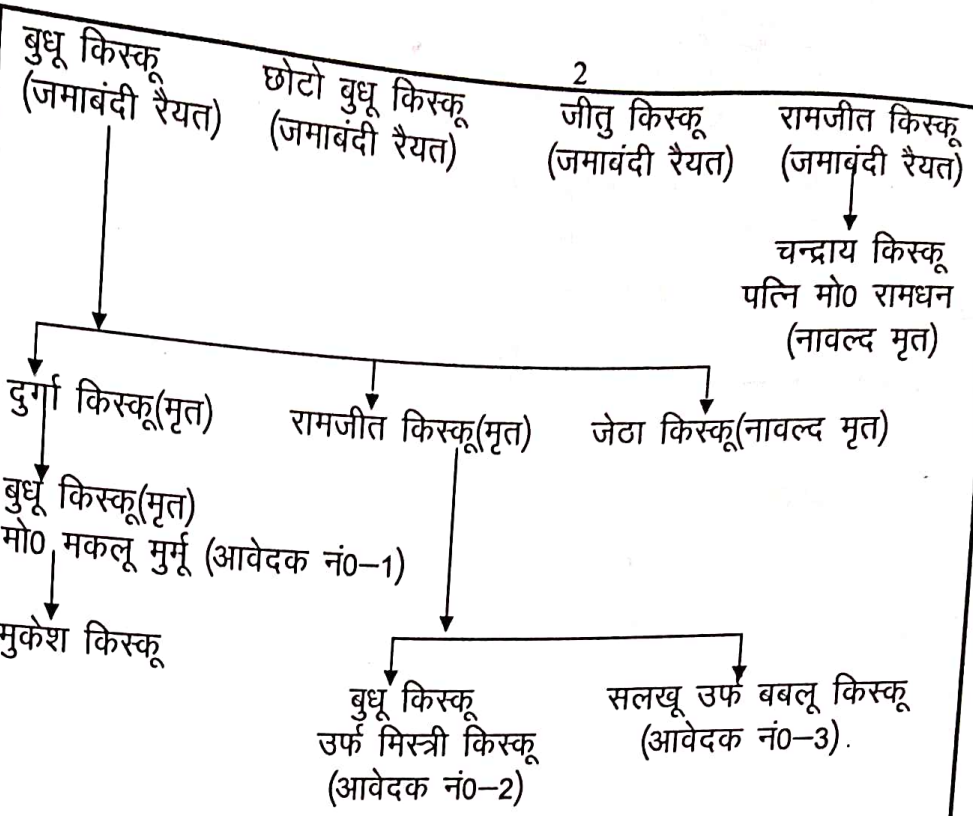

उनका आगे कथन है कि मौजा–डलावर के पहले प्रधान वास्की राय थे। उन्होंने अपने जीवन काल तक मौजा–डलावर के जमाबंदी सं0–30 का लगान रसीद आवेदकगण को देते आ रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शालीग्राम राय, मौजा–डलावर के प्रधान नियुक्त हुए। उन्होंने भी अपने जीवन काल तक आवेदकगण को लगान रसीद देते आ रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शिव कुमार राय मौजा–डलावर के प्रधान नियुक्त हुए, तो उन्होंने आवेदनगण को लगान रसीद देना बंद कर दिया। जबकि उनके पूर्व प्रधान द्वारा निर्गत अनेकों रसीद आवेदकगण के पास है। उन्होंने मौजा–डलावर जमाबंदी सं0–30 का लगान रसीद आवेदकगण को देने हेतु प्रधान को आदेश देने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी प्रधान शिव कुमार राय की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि मौजा डलावर नं0 735 में परम्परागत रूप से दो प्रधान सरकार के द्वारा नियुक्त होते आ रहे है। वर्तमान में भी उपरोक्त मौजा में दो प्रधान (1) शिव कुमार राय पे0 स्व0 शालीग्राम राय (2) एसवेल मुर्मू पे0–स्व0 मिरजा मुर्मू नियुक्त है। दोनों प्रधान मौजा के आधा–आधा के हिस्सेदार है एवं मौजा के कार्यो का जबावदेही भी दोनों प्रधानों पर आधा–आधा है तथा सरकार का मालगुजारी राशि भुगतान करने की जबावदेही आधा–आधा करके दोनों प्रधान को है। आवेदकगण से मालगुजारी

रसीद प्राप्त करने तथा रसीद मुहैया कराने की जबावदेही विपक्षी प्रधान शिव कुमार राय पर नहीं है। वे अन्य रैयतों से मालगुजारी प्राप्त कर बराबर नियमानुसार मालगुजारी रसीदें निर्गत करते आ रहें है। आवेदकगण से मालगुजारी प्राप्त करने एवं उन्हें रसीदें निर्गत करने की जबावदेही मौजा–डलावर के अन्य प्रधान श्री एसावेल मुर्मू पर है। वे बराबर आवेदकगण से मालगुजारी प्राप्त कर रसीदे निर्गत करते आ रहे है। अभी भी वे नियमानुसार मालगुजारी प्राप्त करने एवं रसीदें निर्गत करने हेतु तैयार है। लेकिन आवेदकगण ने अपने आवेदन पत्र में गलत वंशावली अंकित किया है। मौजा–डलावर जमाबंदी सं0–30 रकवा 10–18–06 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बुधू किस्कू पे0–डुगरू किस्कू वो छोटा बुधू किस्कू वो जीतु किस्कू पेसरान तोता किस्कू तथा रामजीत किस्कू पे0 लाढ़े किस्कू के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत छोटा बुधू किस्कू एवं जीतु किस्कू नावल्द फौत कर गये। इनकी हिस्से की जमीन खतियानी रैयत बुधू किस्कू एवं रामजीत किस्कू को प्राप्त हुई है। आवेदकगण खतियानी रैयत बुधू किस्कू के बंशज है। उनलोगों ने अपने वंशावली में जमाबंदी रैयत रामजीत किस्कू के उत्तराधिकारी को नहीं दर्शाया है। आवेदकगण ने सम्पूर्ण जमाबंदी सं0–30 की जमीन की रसीदें माँगते है। जबकि वे लोग जमाबंदी सं0–30 के जमीन के आधे के हिस्से की रसीदें प्राप्त करने के ही हकदार है। गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में सभी खतियानी रैयतो के हक एवं दखल की जमीन का उल्लेख खतियान के कैफियत खाने में अलग–अलग दर्ज है। लेकिन आवेदकगण ने जानबुझ कर उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उनके हिस्से की जमीन अवैध रूप से कब्जा करने का मंशा रखते है जो सरासर अनुचित एवं गलत है। उन्होंने आवेदकगण के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मौजा–डलावर नं0–735, जमाबंदी नं0–30 कुल खतियानी रकवा 10–18–06 धुर जमीन जमाबंदी रैयत बुधु किस्कु वल्द डगरू किस्कु वो छोटा बुधु किस्कु वो जीतु किस्कु पेशरान तोता किस्कु वो रामजीत किस्कु वल्द लाढ़े किस्कु कौम–संथाल साकिन देह गिरजा टोला के नाम से गेंजर

सर्वे में दर्ज पाया। मौजा–डलावर में दो प्रधान नियुक्त है। 1. शिव कुमार राय, पे0–स्व0 शालीग्राम राय 2. एसावेल मुर्मू, पे0–गिरजा मुर्मू। मौजा–डलावर जमाबंदी नं0–30 का जमाबंदी रैयत के जीवित वारिसान को दोनों प्रधान आधा–आधा लगान रशीद निर्गत करते आ रहें हैं। अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा जमाबंदी रैयतों का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है:–

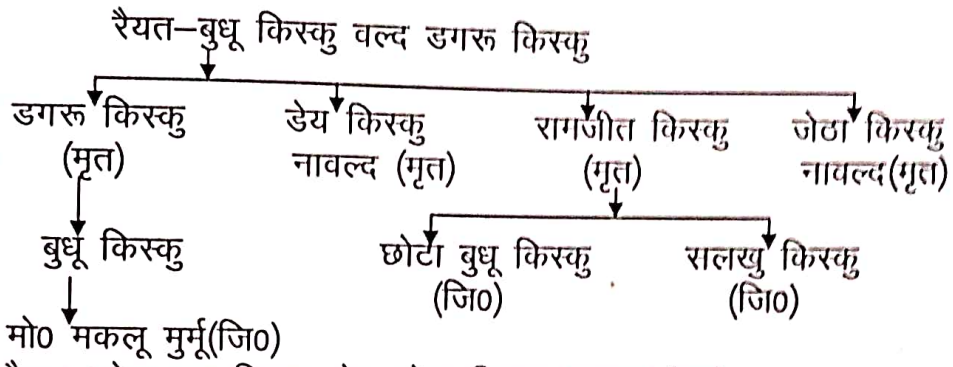

रैयत–छोटा बुधू किस्कु, पे0–तोता किस्कु नावल्द (मृत)
रैयत–जीतू किस्कु, पे0–तोता किस्कु नावल्द (मृत)

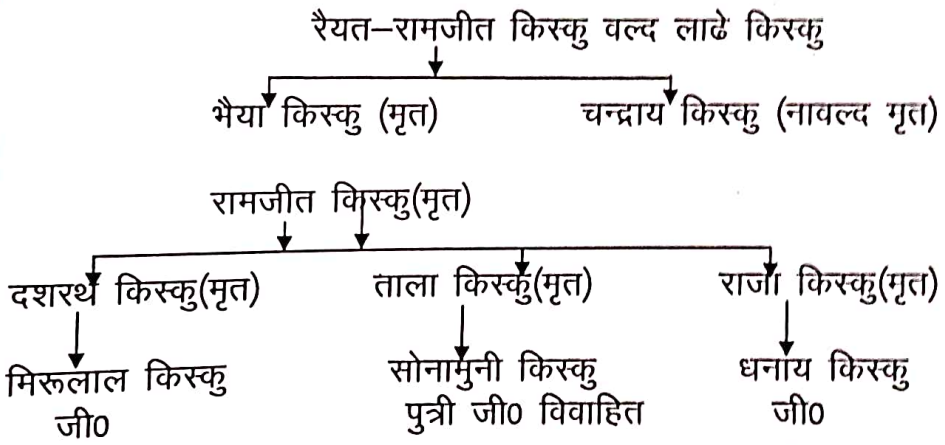

विज्ञ सरकारी वकील से मंतव्य प्राप्त है कि आवेदक द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–47 के तहत आवेदन दाखिल किया है, जिसके तहत प्रथम दृष्टया विचारण अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में संथाल सिविल रूल के तहत किया जाना चाहिए। जैसा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 47 (8) में वर्णित है। लेकिन आवेदन की वस्तु स्थिति के आधार पर उक्त धाराओं के अन्तर्गत यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है। उनका आगे मंतव्य है कि वर्तमान वाद का विचारण संथाल सिविल रूल की धारा–74 के तहत किया जाना था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 74 (A) (B) (C) (D) का अवलोकन करने के

पश्चात यह मामला अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के विचारण के बाद ही इस स्तर से आदेश पारित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–डलावर थाना सं0–735 जमाबंदी सं0–30 कुल रकवा 10–18–06 धुर जमीन गत सर्वे सेतलमेंट पर्चा में बुधू किस्कू वल्द डुगरू किस्कू वो छोटा बुधू किस्कू वो जीतु किस्कू पेसरान तोता किस्कू वो रामजीत किस्कू वल्द लाढ़े किस्कू कौम संताल शा0 देह टोला मिरजा टोला के नाम से दर्ज है। आवेदकगण ने उक्त जमाबंदी का लगान रसीद आवेदकगण के नाम से निर्गत करने हेतु विपक्षी प्रधान शिव कुमार राय को आदेश देने के लिए अनुरोध किया है लेकिन अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा–डलावर में स्पष्ट होता है कि मौजा–डलावर में पहला प्रधान शिव कुमार राय द्वारा जमाबंदी रैयत के जीवित वारिशानों मिरू लाल किस्कु वो सोनामुनी किस्कु वो धनाय किस्कु को आधा–आधा लगान रसीद तथा द्वितीय प्रधान एसवेल मुर्मू, पे0–मिरजा मुर्मू द्वारा जमाबंदी रैयत बुधु किस्कु के जीवित वारिशानों मकलू मुर्मू वो छोटा बुधु किस्कु वो सलखु किस्कु को लगान रसीद निर्गत करते आ रहें हैं। साथ ही विज्ञ सरकारी वकील का भी मंतव्य है कि संथाल सिविल नियमावली की धारा 74 के अनुसार लगान निर्गत करने का आदेश देने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आवेदन देना चाहिए। लेकिन आवेदक के आवेदन से प्रतीत होता है कि आवेदकगण के द्वारा इसके पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण का आवेदन स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकों के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

24/03/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

24/03/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 12:21:58 +05:30
Location: 192.168.29.32